न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 32/2011

प्रविष्टि दिनांकः— 21—07—2011

1—लादू ।
। पि0 छोगा जाति गूजर निवासीयान उनियाराखुर्द तहसील टोडारायसिंह
2—छोटू । जिला टोंक।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1—लाला ।
। पि0 जगदीश जाति गूर्जर निवासीयान उनियारखुर्द तहसील टोडारायसिंह
2—शंकर । जिला टोंक
3—उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह।

.....प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियग 14(4) भू आवण्टन नियम 1970

उपस्थित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं0 3 की ओर से

निर्णय **दिनांक 13—04—2017**

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान दिनांक 06.01.2011 को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी सं01व 2 के पक्ष में भूमि ख0नं0 217/916 रकबा 0.33 हेक्टेयर वाके ग्राम उनियाराखुर्द तहसील टोडारायसिंह केम्प कुहाडाबुजुर्ग में आवण्टन की है। अतः उक्त आवण्टन निरस्त किये जाने हेतु यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई। प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा दिनांक 16.12.2011 को की गई। बहस अभिभाषक आवेदकगण व राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक आवेदकगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिपक्षी सं0 1व 2 को आवंटित भूमि ख0नं0 217/916 रकबा 0.33 हे. वाके उनियाराखुर्द पर प्रार्थीगण का व उनके पिता का बरसो से कब्जा काश्त चला आ रहा है, आज भी मौके पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा आवंटन के समय भी प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पुराने कब्जे की है एवं उनके स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है जिससे उनके परिवार की आजीविका चलती है। आवंटन से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं ली गई, रिक्त भूमियों की सूचियां नहीं बनाई गई तथा प्रतिपक्षी सं0 1व 2 द्वारा चुपचाप अपने हक में गलत रूप से आवंटन कराया है, आवंटित भूमि पर प्रतिपक्षीगण को कब्जा नहीं दिया गया है, आवंटन मजमे आम में नहीं किया गया है, आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई, आवंटीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है उनके द्वारा आवंटन हेतु भरे गये फार्म में सही तथ्य वर्णित नहीं किये गये है, हलका पटवारी की रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सही नहीं है, आवेदकगण का कब्जा होने के तथ्य से हलका पटवारी पूर्ण रूप से परिचित होने के बावजूद आवंटन आदेश पर रिपोर्ट की गई है जिससे आवंटन तथ्यों व वास्तविकता के विपरित है और निरस्तनीय है। अतः आवण्टन दोषपूर्ण होने से प्रतिपक्षी सं0 1व2 को ख0नं0 217/96 रकबा 0.33 हे0 वाके ग्राम उनियाराखुर्द का किया गया आवण्टन निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि भू–आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी सं01व 2 के हक में किया गया आवण्टन उचित है। प्रतिपक्षी भूमिहीन काश्तकार है, आवण्टन की सिफारिश पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा की गई है, उसी आधार पर कमेटी की राय से उक्त आवण्टन प्रतिपक्षी सं0 1व2 को किया गया है। अतः आवंटन विधिवत रूप से होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाकर आवण्टन यथावत रखा जावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख, मूल आवण्टन पत्रावली एवं बहस अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी सं01व 2 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आ0ख0नं0 217/916 रकबा 0.33 हेक्टेयर वाके ग्राम उनियाराखुर्द तहसील टोडारायसिंह का दिनांक 06.01.2011 को आवण्टन किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं0 2 व 3 में अंकित किया है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का व उनके पिता का बरसो से कब्जा काश्त चला आ रहा है, आज भी मौके पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा आवंटन के समय भी प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे। प्रार्थीगण द्वारा जो खसरा परिवर्तनशील पेश की है वह सम्वत 2055 वर्ष 1998–99 की है जबकि आवंटन प्रतिपक्षीगण सं0 1व 2 को वर्ष 2011 को हुआ है। विवादित भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में आवंटन के समय अथवा बाद की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उक्त भूमि पर उनका कब्जा होना सिद्व हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि आवंटन मजमे आम में नहीं किया गया इस संबंध में आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रशासन गॉव के संग अभियान के अन्तर्गत प्रतिपक्षी सं01व2 द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर आवण्टन की सिफारिश आवंटीगण के भूमिहीन होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने एवं भू0अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा किये जाने पर ही आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा मजमेआम में पूर्ण कोरम होने पर ही किया गया है। प्रार्थीगण बरवक्त आवण्टन, मौके पर उन्हैं प्रश्नगत आवण्टन के बाबत यदि कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र थे। आवंटीगण को उक्त भूमि का सुपुर्दगीनामा दिनांक 20.01.2011 को दिया जा चुका है। यदि प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन की पुष्टि में ऐसा पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो तथा यह आवेदन पत्र चलने योग्य हो। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

6– फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

7– निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner